प्रेस विज्ञप्ति

17.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 13/06/2025 को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुड़गांव में 7 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी कार्यवाही के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर ऑक्टाएफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके ठगने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि ऑक्टाएफएक्स, मेसर्स ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में आरबीआई की अनुमति के बिना भारत में काम कर रहा था। उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया और एक साल से भी कम समय में 800 करोड़ रुपये से अधिक कमाए।

तलाशियों से पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों के फंड को खच्चर खातों के माध्यम से अनधिकृत भुगतान एग्रीगेटर डाइनेरो पेमेंट सर्विसेज के एस्क्रो खातों में भेजा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत होने वाली शेल फर्मों को भुगतान गेटवे तक पहुंचने और पहचान से बचने के लिए नकली केवाईसी का उपयोग करके शामिल किया गया था। निवेशकों के फंड को ऑनलाइन खरीदारी के रूप में छिपाया गया, कई खातों के माध्यम से स्तरित किया गया, और अंततः उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए नकली विदेशी मुद्रा या सट्टेबाजी भुगतान के रूप में वितरित किया गया। यह भी पता चला कि लगभग 50% उपयोगकर्ता फंड ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म से खच्चर भुगतान खातों में डायवर्ट किए गए थे। इन खातों का उपयोग ई-कॉमर्स रिफंड, चार्जबैक, विक्रेता भुगतान आदि के झूठे बहाने के तहत धन वितरित करने के लिए किया गया था, जो प्रभावी रूप से धन के वास्तविक प्रवाह और उद्देश्य को छुपाते थे।

तलाशी अभियान में यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने भुगतान गेटवे की पहचान छिपाने और विनियामक पहचान से बचने के लिए यूआरएल मास्किंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य भुगतान लिंक पर निर्देशित करने के बजाय, उन्होंने भ्रामक या सामान्य यूआरएल का इस्तेमाल किया, जिससे अधिकारियों और बैंकों के लिए अनधिकृत या अवैध स्रोतों से लेनदेन का पता लगाना मुश्किल हो गया।

अब तक ईडी ने स्पेन की संपत्तियों सहित 160.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्ती/फ्रीज कर दी है और दो अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।